कार्यालय– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–वा0क0अधि0 / मानदेय / परिपत्र / 757 / 2026::लखनऊ::फरवरी 27, 2026

–:परिपत्र:–

सेवा में,

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

वाणिज्य कर अधिकरण, अधिष्ठान हेतु शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष–2025–2026 हेतु मानक मद 07–मानदेय मद में धनराशि प्राविधानित की गई है, जिसको अधिष्ठान में कार्यरत तृतीय / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिनके विरूद्ध वित्तीय वर्ष–2025–2026 में किसी प्रकार की प्रतिकूल प्रविष्टि, दण्डादेश / जांच एवं चेतावनी तथा अन्य किसी प्रकार के कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं पाये गये हैं, उन कर्मचारियों को मानदेय स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाना है।

अतः निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधनीस्थ कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से एक–एक कर्मचारी का नाम संस्तुति सहित दिनांक 10.03.2026 तक प्रत्येक दशा में विभागीय ई0मेल आई0डी0 chairman-commtax-tribunal@nic.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी नामों पर विचार नहीं किया जायेगा। जिन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नाम प्रेषित किये जायें, उनकी बेनीफिशरी भी मुख्यालय अवश्य प्रेषित की जाये।

प्र0निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्र0 निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
3. वरिष्ठ सहायक (लेखा), मुख्यालय।
4. वेब अधिकारी, मुख्यालय।

प्र0निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।